

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

276 -

अधिसूचना

पटना, दिनांक 09/02/2017

संख्या-3/टी0-01-08/2015- 69(3) /स्वा0, डा0 तेजनारायण सिंह (वरीयता क्रमांक-6763), चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया को बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम 84 के तहत अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।
3. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


ह0 / -

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-3/टी0-01-08/2015- 69(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 09/02/2017  
प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, गया/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया/उपाधीक्षक/प्रभारी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया/चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरुआ, गया/डा0 तेजनारायण सिंह (वरीयता क्रमांक-6763), चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9 एवं 10/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के अवर सचिव 9.2.17